FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थिया

1. कुकी पत्नी सुखदेव
2. सत्यनारायण पुत्र सुखदेव तमाम जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण रूपावास तहसील व जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार भुमिधारी पाली

किस्म मुकदमा :: रेस्टोर प्रार्थना पत्र 9 /2024

(जीसीएमएस क्रमांक –2024/ 58)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.24	प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह रेस्टोर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 86/2021 बअनवान कुकी वगैरा बनाम राज्य सरकार मे पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 को अपास्त कर प्रकरण पुनः रेस्टोर कराने का निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.05.24 को पेश हो। जिला कलक्टर, पाली	359
08.05.24	अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 15.05.2024 को पेश हो।	
15.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थीया उपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बअद बहस अधि. प्रार्थीया ने इस न्यायालय के प्रकरण सं. 86/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 को अपास्त कर प्रकरण पुनः रेस्टोर करवाने का निवेदन किया। अधि. प्रार्थीया के रेस्टोर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य उचित प्रतीत होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण को रेस्टोर किया जाता है। मूल पत्रावली पुनः नम्बर पर दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के नत्थी हो। जिला कलेक्टर, पाली	